

चिकित्सा प्रतिपूर्ति

विषय सूची

| क्र० सं० | विषय | शासनादेश संख्या/दिनांक | पृष्ठ संख्या |
|----------|---|---|--------------|
| 1. | अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुए पेंशनर्स की पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण | सं० 503/xxvii(7)/2010 दिनांक 26 मई, 2010 | 241-242 |
| 2. | अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुए पेंशनर्स की पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण | सं० 610/xxvii(7)/2010 दिनांक 21 जून, 2010 | 243-244 |
| 3. | उत्तराखण्ड राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जो प्रदेश के बाहर निवास कर रहे हैं, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के तकनीकी परीक्षण हेतु दिशा निर्देश | सं० 636/xxviii-3-2010-437/ 2002 (टी०सी०- I) दिनांक 20 अगस्त, 2010 | 245-246 |
| 4. | राज्य गठन से पूर्व अविभाजित राज्य उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त कर्मचारियों /उनके आश्रित सदस्यों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भुगतान प्रक्रिया के संबंध में | सं० 707/xxvii(7)/2010 दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 | 247-248 |

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल ऑडिटर,
देहरादून।

वित्त (वे0आ0-सा0नि) अनुमाग-7

देहरादून: दिनांक 26 मई, 2010

विषय:-अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुए पेंशनर्स की पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशनर्स (9-11-2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 9-11-2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के लिए स्थानान्तरित किये गये हैं की पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान अन्य राज्यों के पेंशनर्स की भांति अन्तर्राज्यीय समायोजन हेतु विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाये।

भवदीया,


(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।

संख्या- 503 / XXVII(7) / 2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3-प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
- 4-सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड शासन।
- 5-सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड शासन।
- 6-महानिबन्धक, उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
- 7-निदेशक, लेखा हकदारी एवं चिट्स फण्ड उत्तराखण्ड देहरादून।
- 8-क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन गढ़वाल एवं कुमाऊं।
- 9-रीजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर कानुपर/देहरादून।
- 10-समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 11-निदेशक, एन0आई0सी0 एकक, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 12-सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 13-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव वित्त।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल ऑडिटर,
देहरादून।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07

देहरादून:दिनांक:2) जून, 2010

विषय:-अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुए पेंशनर्स की पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उक्त विषय के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 585/XXVII(7)/2010 दिनांक 08 जून, 2010 के तृतीय पंक्ति में प्राधिकार पत्र दिनांक 09-01-2010 के स्थान पर 9-1-2000 पढ़ा जाए।

2- शासनादेश संख्या: 585/XXVII(7)/2010 दिनांक 8 जून, 2010 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त

संख्या: 610 (1) / xxvii(7) / 2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
- 2.समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
- 3..महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून ।
- 4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
- 5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
- 6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
- 7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
- 8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 9.समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
- 10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
- 11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 1000प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
- 12..निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
- 13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

प्रेषक,

डा10 उमाकान्त पंवार

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 20 अगस्त, 2010

विषय: उत्तराखण्ड राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जो प्रदेश के बाहर निवास कर रहे हैं, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के तकनीकी परीक्षण हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-362/XXVII(8)/2005, दिनांक 19.09.2005, संख्या-58/XXVII(7)पे0/2006, दिनांक 18.05.2006 एवं चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04.09.2006 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य की सेवा से सेवानिवृत्त राज्य के अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य, जो स्थायी रूप से दिल्ली, मेरठ मण्डल तथा सहारनपुर मण्डल में निवास कर रहे हैं, के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत दावों की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति के पत्र अनिवार्यता प्रमाण पत्र के साथ चिकित्सा दावों के मूल देयक के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून को तथा उत्तराखण्ड राज्य की सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जो मेरठ मण्डल तथा सहारनपुर मण्डल के अतिरिक्त उपरोक्त राज्य के अन्य मण्डलों में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, के स्वयं तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत अनिवार्यता प्रमाण पत्र के साथ चिकित्सा दावों के मूल देयक के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाऊं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. उक्त संशोधन के फलस्वरूप उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 08.05.2006 तथा 04.09.2006 के संगत अंश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय और इनकी शेष सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-4399/XXVII(7)/2010, दिनांक 03.08.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा10 उमाकान्त पंवार)

सचिव।

पु0संख्या- 636 (1)/XXVIII-3-2010-437/2002(टी0सी0-1), तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधीक्षक/अधीक्षक, जिला/बेस/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तराखण्ड।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- ✓ 10. वित्त वे0आ0सा0नि0 अनुभाग-7।
11. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से.

(अमित सिंह नेगी)

अपर सचिव।

प्रेषक,

शरद चन्द्र पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवाएं,
उत्तराखण्ड,
23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला,
देहरादून ।

वित्त (वे0आ0-सा0नि)अनु0-7

देहरादून: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2010

विषय:-राज्य गठन से पूर्व अविभाजित राज्य उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त कर्मचारियों/उनके आश्रित सदस्यों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भुगतान प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या: कृ0नि0/4986 /स्था0/चि0 प्रतिपूर्ति/2010-11 दिनांक 20-09-2010 (छाया प्रति-संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में कृषि निदेशक उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 20-09-2010 की प्रति संलग्न प्रेषित कर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य गठन दिनांक 09-11-2000 से पूर्व अविभाजित राज्य उत्तर प्रदेश से सेवा निवृत्त कर्मचारियों/उनके आश्रित सदस्यों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के भुगतान की प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में निम्नवत् कार्यवाही की अपेक्षा की गई है।

उक्त के संबंध में जो प्रक्रिया अन्य राज्यों के पेंशनर्स के विषय में है, वही प्रक्रिया दिनांक 09-11-2000 के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनर्स के विषय में अपनाई जायेगी और प्रशासकीय विभाग संबंधित पेंशनर्स को यह परामर्श दे सकते हैं कि वह उक्त दावा जिस राज्य से वह सेवानिवृत्त हुए हैं, उस राज्य के अपने विभागाध्यक्ष के शासनादेश की व्यवस्थानुसार चिकित्सा दावे को निकटतम सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करायें।

अतः कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न:-उपरोक्त।

भवदीय,



(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव,